

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आईटी-अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक:: 11 फरवरी, 2013

// कार्यालय ज्ञाप //
(रिफण्ड मॉड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में)

मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2395, दि० 31.08.2012 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर "रिफण्ड मॉड्यूल" launch कर दिया गया है। जिसमें व्यापारियों द्वारा रिफण्ड हेतु ऑनलाईन प्रार्थना पत्र Submit करने की प्रक्रिया दी गई है। उक्त ज्ञाप के बिन्दु संख्या-06 के अन्तर्गत CT Application के माध्यम से कर-निर्धारण कार्यालय द्वारा e-refund application के निस्तारण एवं e-refund voucher तथा e-refund advice को generate करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देशित किया जाता है-

Refund हेतु व्यौहारी निम्नलिखित दो प्रकार से अनुरोध कर सकता है:-

1-Online application एवं 2-Manual application

1. Online application

(i) online application के case में कर निर्धारण अधिकारी CT application के माध्यम से Periodical Return file Management System में जाकर e-refund पर click करेंगे।

(ii) e-refund में click करने के पश्चात् दो तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे-

(a) e-refund application disposal.

(b) Application for e-refund.

(iii) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा e-refund application disposal पर click करने के पश्चात् अधिकारी के समक्ष pending application की list प्रदर्शित होगी, अधिकारी द्वारा "dispose application button" पर click करने पर व्यापारी द्वारा online दाखिल application उपलब्ध होगी जिसकी जांचोपरांत अधिकारी द्वारा "Grant" पर click करते ही generate form का विकल्प आयेगा, जिस पर click करते ही व्यौहारी द्वारा चयनित श्रेणी (Category A, B, C अथवा D) के अनुसार refund Voucher generate होगा।

2- Manual-application

व्यौहारी द्वारा refund हेतु manual प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अथवा क० नि० अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने पर यदि "refund" बनता है तो कार्यालय स्तर पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी -

(i)सम्बन्धित कर्मचारी अपने login ID एवं Password से CT application के माध्यम से Periodical Return file Management System में जाकर e-refund पर click करेंगे।

(ii) e-refund में click करने के पश्चात् दो तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे-

- (a) Application for e-refund.
- (b) e-refund

(iii) "Application for e-refund" पर click करने के पश्चात् दो Choice उपलब्ध होंगी।

- (a) registered dealer
- (b) unregistered dealer


(iv) registered dealer को select करके click करने पर TIN feed करना होगा तत्पश्चात् submit button पर click करते ही application का format खुलेगा जिसमें TIN, व्यापारी का नाम एवं पता तथा कर निर्धारण कार्यालय स्वयमेव प्रदर्शित होगा, तत्पश्चात् ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई application को fill-up व save करते ही e-refund application no. generate होगा जो कर निर्धारण अधिकारी के login पर e-refund application disposal के अंतर्गत pendency में परिलक्षित होगा।

(v) Unregistered dealer को select करके click करने पर blank application format उपलब्ध होगा जिसमें व्यापारी का नाम पता एवं अन्य समस्त field fill up व save करने के पश्चात् e-refund application No. generate होगा, जो कर निर्धारण अधिकारी के login पर Pendency में परिलक्षित होगा।

(vi) कार्यालय स्तर पर भी e-refund application disposal का विकल्प उपलब्ध होगा। जिसमें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा click करते ही पूर्व में कार्यालय स्तर से अथवा ब्यौहारी द्वारा Online दाखिल की गई application का ब्यौरा उपलब्ध होगा। तत्पश्चात् category के अनुसार computation of refund से सम्बन्धी field fill up करके save किया जायेगा तथा पत्रावली क०नि० अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(vii) अधिकारी द्वारा पूर्व में Online application के बिन्दु सं० (1)-(iii) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार refund grant करके refund voucher generate किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।


आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

02. सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
03. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
04. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन, रुद्रपुर।
05. एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
06. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
08. ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
09. डा० सुनीता पाण्डे, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ, वाणिज्य कर कार्यालय, देहरादून।
10. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)-3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं **Web-information officer** को **NIC** एवं विभागीय **website** पर **update** करने हेतु।
11. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
12. इन्स्टावैट ईन्फो प्रा०लि० 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर०सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
13. नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
14. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
15. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई-233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, -201002
16. लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड, मेरठ।
17. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
18. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गॉंधी रोड, देहरादून।
19. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया आटोमो० त्यागी देहरादून।
20. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
21. दी होलसेल डीलर्स एसो० 14, आढ़त बाजार देहरादून।
22. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो० 222/5 गॉंधी ग्राम, देहरादून।
23. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
24. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

आयुक्त, कर
उत्तराखण्ड।